UPGK010019862026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद सं0–70/2026

श्रीमती गुड्डी देवी बनाम श्रीमती कुसुमी देवी

दिनांक–18.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 6 ग पर आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि पर आवेदिकाा के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग पर सुना जा चुका है।

2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र 6 ग मय शपथ–पत्र 7 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदिका को आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 10.11.2025 को हुई। आवेदिका ने आदेश दिनांक 12.09.2025 से क्षुब्ध होकर अपील संस्थित करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र संस्थित किया था परन्तु नकल की रसीद कहीं गुम हो गयी और नकल प्राप्त नहीं हो सकी। पुनः आवेदिका अपने अधिवक्ता से मिली और अपील संस्थित करने के लिए कहा तब नकल की रसीद गायब होने की बात का पता चला तब आवेदिका ने दिनांक 31.01.2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त होने के तत्काल बाद अपील दाखिल किया जा रहा है। अपील के दाखिला में जो देरी हुई है वह मानवीय भूल की वजह से हुई है जिसे न्यायहित में माफ किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आधार पर 5 मियाद अधिनियम के तहत लाभ देते हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील में सुनवायी किये जाने की याचना की गयी है।

3. विपक्षी को नोटिस प्रेषित की गयी किन्तु विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं जारी नोटिस 18ग के तामील होकर प्राप्त होने के आधार पर दिनांक 10.07.2026 को विपक्षी पर तामीला की अवधारण की गयी।

4. प्रार्थनापत्र 6 ग में आवेदिका द्वारा अपील दाखिल करने में जानबूझकर बिलम्ब न करने का कथन किये गये है एवं जो भी विलम्ब हुआ है, वह मानवीय भूल की वजह से होना कहा है। विधिक नजीरों में यह प्राविधान दिया गया है कि परिसीमा अधिनियम के मामले में न्यायालय को लिबरल एप्रोच अपनाना चाहिये अर्थात लचीलापन रूख अपनाना चाहिये जैसा कि **शिल्पा प्रति मधुकर व अन्य, 2001 (1) जे0आई0सी0 पृश्ठ 588 सुप्रीम कोर्ट, उ0 प्र0 राज्य प्रति गौरीशंकर, 1992 ए0एल0जे0 पृश्ठ 606 इलाहाबाद डिवीजन बेंच, पारसनाथ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, 1982 ए0एल0जे0 पृश्ठ 392 इलाहाबाद** में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का हवाला दिया जाना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक घण्टे व दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है।

5. अपील आवेदिका का वैधानिक अधिकार है, मात्र तकनीकी कारण से उसे सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्याय पूर्ण उद्देश्यों के लिये आवश्यक है कि उभय पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाये, जिससे सारभूत न्याय हो

सके। मेरे विचार से इस केस में विलम्ब अवश्य हुआ है, लेकिन प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में लिखे गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

आदेश

आवेदिका श्रीमती गुड्डी देवी की ओर से 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र 6ग स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए क्षमा किया जाता है। प्रकीर्ण सिविल अपील अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 31.07.2026 को प्रस्तुत हो।

(राज कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.18 16:35:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court